ले.प.प्रति.सं.-60/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **गोपेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **गोपेश्वर** के 11/2014 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, व श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज पाल**, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक 11.02.2019 से 15.02.2019 तक सम्पादित की गयी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- परिचयात्मक-इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी**,** एवं श्री कलवन्त**,** लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 28/11/2014 से 02/12/2014 तक श्री पी सी श्रीवास्तव**,** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 04/2001से 10/2014 तक के अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- गोपेश्वर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	61.92	53.93	5.09	4.94		8.14
2016-17	-	-	77.60	60.85	6.15	5.62		17.28
2017-18	-	-	67.77	67.65	12.14	11.81		0.45
2018-19 (1/ 2019 तक)	-	-	57.71	46.40	17.16	13.00		-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अर्थ एवं संख्याधिकारी
अपर सांखिकीय अधिकारी
सहायक सांखिकीय अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

----------शून्य ----------

<u>भाग दो-'ब'</u>

<u>प्रस्तरः1-</u> समय सीमा व्यतीत होने के उपरांत भी नवाचार निधि के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का पूर्ण न होना ₹ 37.74 लाख।

कार्यालय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाएँ कई वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण नहीं हो पाईं:

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹	वर्ष
1	Hygenic sanitary napkin	श्री नंदादेवी महिला लोक विकास समिति	442000	2014
2	Integrated project for promotion of eco-tourism-based livelihood	AlaknandaGhati Shilpi Federation	1015000	2014
3	जिला कारागार के कैदियों हेतु कालीन बुनाई/लिफ़ाफ़ा बनाने का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चमोली	357000	2016
4	Smart classes solution in selected 5 schools in Chamoli Garhwal	ILFS Dehradun	1460000	2016
5	Society of pollution and environmental conservation scientists (SPECS),an innovative model for energy conservation and employment generation	हिमाद समिति गोपेश्वर	500000	2016
कुल			**3774000**	

उपरोक्त के पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उपरोक्त संस्थाओं को पत्र प्रेषित करने/अनुस्मारक भेजने के बाद भी समय से प्रोजेक्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र,CA ऑडिट रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स तथा अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण कर उपलब्ध न करने के कारण योजनाएँ पूर्ण होने में विलंब हुआ है। संस्थाओं द्वारा समय से आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध न कराने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण विलंब हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कई वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका, जिससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तथा शासकीय धन का व्यय भी निष्फल रहा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:1-</u> जिला नवाचार निधि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

कार्यालय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए:

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹	अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की लागत ₹
1	उड़न बीट्स पर आधारित हस्त शिल्प विकास योजना	Society for information research health and training institute	1280000	4	128000
4	Integrated project for promotion of eco-tourism-based livelihood	AlaknandaGhati Shilpi Federation	1015000	3	203000
5	जिला कारागार के कैदियों हेतु कालीन बुनाई/लिफ़ाफ़ा बनाने का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चमोली	357000	2, 3	214200
6	Multimedia and activity based learning in 2 govt. primary school of Chamoli district	Himalayan education and resource development society	615000	2, 3	369000
7	Smart class solution in selected 5 school in Chamoli	ILFS Dehradun	1460000	2	584000

8	Society of pollution and environmental conservation scientists (SPECS) an innovative model for energy conservation and employment generation	हिमाद समिति गोपेश्वर	500000	1,2,3.4	500000
कुल					1998200

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर इकाई उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:2-</u> अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध नवाचार योजना के अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय किश्त अलग अलग जारी न करके एक साथ जारी करना ₹ 3.57 लाख।

कार्यालय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" में विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चमोली द्वारा "जिला कारागार के कैदियों हेतु कालीन बुनाई/लिफ़ाफ़ा बनाने का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम" परियोजना (कुल लागत ₹ 3.57 लाख**)** में कार्यालय द्वारा द्वितीय एवं तृतीय किश्त एक साथ दी गयी है, जबकि अनुबंध में स्पष्ट है कि द्वितीय किश्त से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही तृतीय किश्त अवमुक्त की जाएगी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात धनराशि अवमुक्त की गयी।

इकाई का उत्तर स्पष्ट नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध किस्तों को एक साथ जारी करने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:3</u>- निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी का लंबित रहना रू 27984/-।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार “Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable.” तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि “ Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. “

कार्यालय की निष्प्रयोज्य वस्तुओं से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि स्टोर में निष्प्रयोज्य अवस्था में ह्रास मूल्य ₹ 27984 की वस्तुएँ थी , जिनकी नीलामी लंबित थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि कार्यालय में स्टॉक में पड़ी निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलामी हेतु बार-बार विज्ञापन जारी करने के पश्चात भी सामग्री उठ नहीं पा रही है, जिसे पुनः मूल्य संशोधित कर नीलामी का प्रयास किया जा रहा है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
सा.क्षे.-ले.प.प्रति.-28/2014-15	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **गोपेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमितायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री शिवचरण सिहं गुसाईं	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	21..11.2013	31.10.2017
2.	श्री बी एस दुग्ताल	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	01.11.2017	16.04.2018
3	श्री ए एस जंगपांगी	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	17.04.2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति **कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र